

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-भा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/ पीएससी /2015 दिनांक 18.07.2015 द्वारा श्री हरिनारायण भद्रकारिया आरपीएससी द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता वाणिज्य के पद पर सलमावि छीपा बड़ोद - बारा पदस्थापित किया गया था।

श्री हरिनारायण भद्रकारिया द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-भा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/ पीएससी /2015 दिनांक 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 4418/2016 दाख की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.04.2016 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकाधी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में गृह जिला जयपुर में पदस्थापन बाबत निवेदन किया है।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया व्याख्याता पद स्टेट सर्विस का होने के कारण कहीं भी पदस्थापन दिया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन नहीं दिया जाता है श्री हरिनारायण भद्रकारिया द्वारा पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छीपा बड़ोद - बारा में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः श्री हरिनारायण भद्रकारिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो।

  
(बीकानेर कार्यालय)


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक - 09-11-16

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोर्टकेस/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को उनके पत्रांक बी-2/जय/निर्णय/29859/डी/16 दिनांक 24.08.16 के क्रम में सूचनार्थ
- 1 संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक, कोटा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बारा
- 3 संबंधित संस्था प्रधान सलमावि छीपाबड़ोद-बारा
- 4 संबंधित कार्मिक श्री हरिनारायण भद्रकारिया व्या. वाणिज्य सलमावि छीपाबड़ोद-बारा
- 5 गार्ड फंजिका

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर